

**FORM - III**

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला, श्रीगंगानगर

हरमन्दर सिंह उर्फ मन्दर सिंह बनाम राजस्थान सरकार

अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एल.आर.एक्ट नम्बर 41 सन् 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर २०२५/६५

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19.03.2024	<p>वादी हरमन्दर सिंह उर्फ मन्दर सिंह पुत्र वन्द सिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 ओ लखियां तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री युधिष्ठिर सिंह सैनी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, आरटीए, 136 एलआरएक्ट पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण के संबध में रिपोर्ट हेतु तहसीलदार श्रीकरणपुर को पत्र लिखा जावे। प्रतिवादी को जरिए समान तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.04.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">↓ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर</p>	
२५/५/२५	<p>वादी अधिवक्ता उपस्थित। रिपोर्ट TDR KPR प्राप्त नहीं। पत्रावली वास्ते इल्लुज्जर रिपोर्ट दिनांक २१/०५/२५ को पेश हो।</p>	
२१/५/२५	<p>वादी अधिवक्ता उपस्थित। रिपोर्ट TDR KPR प्राप्त हुई। सामिल प्रिंसल की गई। वरुस खुली गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वादपत्र तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार किया जाता है। पत्रावली इस आशय का जारी हो। पूजा डिक्री की एक प्रति TDR KPR को मूलनाम में अधिवक्ता को पेश किया जावे। पत्रावली निगति लेकर गवर्नर कार्यालय लौट कर वापस दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">↓ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर</p>	

